

UTTARAKHAND HIGHER JUDICIAL SERVICE
DIRECT RECRUITMENT EXAMINATION-2024

PAPER-3

Maximum Marks :100

Time :02 Hours

Note :

- (i) All questions are Compulsory.
 - (ii) All the Questions are to be answered in one language either in English or in Hindi.
-

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 (30 Marks)

Q.1. Under what circumstances can a confession made by a person when he is in the custody of a police officer be proved against him ?

किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होने पर की गई संस्वीकृति को किन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है ? (06 Marks)

Q.2. A witness, of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. Can this be a reasonable ground for asking him if he is a dakait ? Discuss with provision.

कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है। उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है क्या यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है? प्रावधान सहित चर्चा करे। (10 Marks)

Q.3. Write short notes on the followings :

- (i) Conclusive proof.
- (ii) Onus probandi.
- (iii) Falsus in uno, falsus in omnibus.
- (iv) Disproved and Not proved.
- (v) When facts not otherwise relevant become relevant.
- (vi) Facts in issue.
- (vii) Question by party to his own witness.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :-

- (i) निश्चायक सबूत ।
- (ii) ओनस प्रोबान्डी ।
- (iii) फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस ।
- (iv) नासाबित और साबित नहीं हुआ ।
- (v) वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं ।
- (vi) विवाद्यक तथ्य ।
- (vii) पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न ।

(2 x 7=14 Marks)

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 (30 Marks)

Q.4. Where a question arises as to whether any person is or is not the legal representative of a deceased appellant or a deceased respondent, how such question shall be determined by the Appellate Court ?

जहाँ यह प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति मृत अपीलार्थी या मृत प्रत्यर्थी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, वहाँ अपील न्यायालय उक्त प्रश्न का अवधारण कैसे करेगा?

(08 Marks)

Q.5. What are the materials from which issues may be framed?

वह कौन सी सामग्री है जिससे विवाद्यको की विरचना की जा सकेगी ?

(05 Marks)

- Q.6.** An ex parte temporary injunction is an exception. What are the guiding principles to be followed by the court while issuing ex parte temporary injunction ?

एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश एक अपवाद है । एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश जारी करते समय न्यायालय द्वारा किन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए?

(05 Marks)

- Q.7.** What are the guiding principles for production of additional evidence in Appellate Court ?

अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं ?

(05 Marks)

- Q.8.** Under what circumstances the plaint shall not be deemed to be duly instituted ?

वादपत्र किन परिस्थितियों में सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जायेगा ?

(04 Marks)

- Q.9.** In which cases can a party apply for a copy of the formal order ?

किन मामलों में पक्षकार औपचारिक आदेश की प्रतिलिपि के लिये आवेदन कर सकता है ?

(03 Marks)

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 (30 Marks)

- Q.10.** Write any five irregularities which vitiate proceedings.

कोई पाँच अनियमितताएँ लिखिएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं ।

(08 Marks)

- Q.11.** Bail is rule and Jail is an exception. Discuss with the case-law.

जमानत नियम है और जेल अपवाद है । केस लॉ के साथ चर्चा करें।

(08 Marks)

Q.12. Discuss the provision of Section 479 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 479 के प्रावधान पर चर्चा करें ।

(04 Marks)

Q.13. Write short notes on the followings :-

- (i) Withdrawal from prosecution.
- (ii) Court not to alter judgment.
- (iii) No appeal to lie unless otherwise provided.
- (iv) Limitation in the case of a continuing offence.
- (v) Person once convicted or acquitted not be tried for same offence.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :-

- (i) अभियोजन वापस लेना ।
- (ii) न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना ।
- (iii) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना ।
- (iv) किसी चालू रहने वाले अपराध में परिसीमा काल ।
- (v) एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिये विचारण न किया जाना ।

(2 x 5=10 Marks)

DRAFTING (10 Marks)

Q.14. Draft a 'Charge' of an offence punishable under Section 304-B of the Indian Penal Code, 1860.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप का ड्राफ्ट तैयार करें ।

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----